आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मौजा :मोरवापुर,जनपद :देवरिया,तहसील :बरहेजपुर
वाद संख्या :-3181/2022
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202252055023181
श्रीमती सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

आवेदक श्री माहेश्वरी विक्रम संस्थान न्यासी [illegible] सिंह प्रबन्धक, पुत्र [illegible] सिंह निवासी बरहीडा परशुराम तथा वाद द्वारा आवेदन आख्यापत्रक-25 दिनांक 18.07.2021/24.07.2021व आनलाइन प्रार्थना पत्र 23.06.2022 को प्रस्तुत किया गया है। जिसमें कहा गया है कि बीडा बरहीडा परशुराम तथा डीह के गाटा सं0 1692 की 1/2भाग मानी 0.102है0 व आराजी 1693 के हक व किस्सा 0.863है0 कुल 1.015है0 की अकृषिक उद्घोषणा की मांग की गयी है।

प्रस्तुत आवेदन पर तहसील से जांच कराकर आख्या प्राप्त की गयी। उपजिलाधिकारी राजस्व निरीक्षक ने अपनी आख्या दिनांक 24.10.21 में विवादित भूमि में माहेश्वरी विक्रम संस्थान न्यासी [illegible] सिंह पुत्र रामनरेश सिंह द्वारा विद्यालय हेतु पक्का भवन [illegible] अकृषिक प्रयोग किया जा रहा है। तहसीलदार बरहेजपुर ने अपनी आख्या दिनांक 25.10.2021 द्वारा राजस्व निरीक्षक की आख्या अकृषिक घोषित करने हेतु संस्तुति सहित प्रेषित किया है। आराजी 1692मि0 रकबा 0.102है0 व खाता सं0 964, आराजी 1693/मि0 के रकबा 0.863है0 खाता सं0 [illegible] जिसके बाबत लेखपाल द्वारा नजरी नक्शा दिनांक 23.11.2021 प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में आनलाइन प्रपत्र पर भी जांच कराया गया, जिसमें नायब तहसीलदार श्री सुनील कुमार सिंह ने अपनी जांच आख्या दिनांक 30.06.2022 में आवेदित भूमि को विक्रय कार्य में प्रयोग होने के आधार पर अकृषिक घोषित करने की संस्तुति दी गयी है। जिसे तहसीलदार ने दिनांक 05.07.2022 को अवलोकित कर प्रेषित किया है। उपनिबन्धक बरहेजपुर ने विवादित आराजी की मालियत के संबंध में आख्या मांगी गयी, जिसमें उनके द्वारा अपनी आख्या दिनांक 29.03.2022 में रकबा 1.015है0 का मूल्यांकन 1000000 प्रति है0 की दर से 0101है0 का मूल्यांकन 2000000.00 तथा0.914है0 का मूल्यांकन का 1/3 मानी 6002000.00 व 30 आम के पेड़ का मूल्यांकन 1200000.00 कुल मूल्यांकन 8190000.00 का दिया गया।

मैंने तहसील आख्या व पत्रावली पर उपलब्ध अन्य कागजों का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा शहाबुद्दीनपुर देवेश कुमार, नवाब, देवकुमार, सुनिल कुमार, प्रदीप कुमार,हरिन्द्र [illegible], विनोद, रमेश, रमेश कुमार मुलाम, विजय चन्द, आदि का अनापत्ति के संबंध में शपथपत्र दाखिल किया गया है। वादी द्वारा चालान सं0 14 दिनांक 02.05.2022 एच0डी0एफ0सी0 बरहेजपुर में रु0 819000.00रू0 अकृषिक उद्घोषणा शुल्क तथा दिनांक02.06.2022 को न्यायशुल्क के रूप में रु0 12000.00रू0 का स्टाम्प क्रय कर पत्रावली में दाखिल किया गया है। विज्ञापन शुल्क रु0 1000.00 रू0 न्यायीय स्टेट बैंक, बरहेजपुर में चालान सं0 11 दिनांक 14.07.2022 द्वारा जमा किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध तहसील आख्या व स्थानीय फोटो से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि में कृषि या बागवानी, पशुपालन आदि की कार्यवाही नहीं हो रही है। भवन व्यावसायिक रूप से

पृष्ठ संख्या :

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :गोरखपुर,जनपद :देवरिया,तहसील :सलेमपुर
वाद संख्या :-3181/2022
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202252055023181
जीवनराम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्गत किया गया है। जिसमें यह [illegible] आवेदन पत्र [illegible] अपीलार्थी का शपथ पत्र दिया गया है। तहसील आवेदन व लिखित सुनवा जना करने व [illegible] द्वारा अपीलार्थी की स्थिति से भगत सिंह 1002हे0 रकबा 0.102हे0 व आराजी 1002हे0 रकबा 0.002हे0 कुल 1.015हे0 भूमि को जो कृषि, बागवानी, पशुपालन(जिसमें मुर्गीपालन, मत्स्यपालन भी शामिल है) के इतर व्यावसायिक गतिविधि होने के कारण अकृषिक किये जाने व कोई विशेष कारण प्रतीत नहीं होती है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचना व तहसील आख्या दिनांक 25.10.2021 व 06.07.2022 के आधार पर ग्राम ग्राम बरहीज पश्चिमपार, तप्पा सीरू, परगना बरगदवा तहसील सलेमपुर जिला देवरिया के खतौनी पत्रांक 1424–1429 के खाता सं0 253 की आराजी 1002हे0 रकबा 0.102हे0 व खाता सं0 354 आराजी 1002हे0 के रकबा 0.002हे0 भूमि जिसके संबंध लेखपाल द्वारा नजरी नक्शा दिनांक 23.11.2021 प्रस्तुत किया गया है, को आकृषिक प्रस्तावित करते हुए अपील मुक्त किया जाता है। लेखपाल द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा दिनांक 23.11.21 आदेश का अंग होगा। यह आदेश खतौनी के निचली कालम में अपडेट दर्ज रहेगा। तदनुसार प्रस्तावना अभिलेखागार जारी हो। आदेश की प्रमाणित प्रति उपनिबन्धक सलेमपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय। बाद अनुपालन पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

13/07/2022

दिनांक: 13/07/2022

(सुजल द्विवेदी)
अपर जिला मजिस्ट्रेट / उप जिलाधिकारी,
सलेमपुर।

प्रमाणित

नाम नकलची — [illegible]
नं० नकल — 185
दिनांक — 18-7-22
शुल्क — 2.00
[illegible] — 4728
[illegible] — 18-7-22
[illegible] — 18-7-22

पृष्ठ संख्या :